फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत दयानंद रूयल, आर.ए.एस. **उप खण्ड अधिकारी** मुकाम **सूरजगढ़**

सिलोचना बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट मुकदमा न0 **10/2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.01.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया श्रीमती सिलोचना की और से पेश किया गया। दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट कमांक भू0अ0/ 2022/2339 दिनांक 19.09.2022 तथा तहसीलदार पिलानी की जॉच रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2023/322 दिनांक 12.04.2023 के मुताबिक राजस्व ग्राम पाथड़िया के वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के अनुसार खाता संख्या 118,163,160 में ख0न0 161, ख0न0 162, ख0न0 166 में आवेदिका के पति का नाम ओमप्रकाश पुत्र गोकल हिस्सा 1/12 जाति मेघवाल दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा संलग्न दस्तावेजात यथा मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व उनके वारिसान के आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की जिसमें प्रार्थीया के पति का नाम राकेश कुमार पुत्र गोकल है। पटवारी हल्का पिलानी की रिपोर्ट के अनुसार मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र व उनके वारिसान के आधार कार्ड की प्रति तथा पूछताछ में मृतक का सही नाम राकेश कुमार पुत्र गोकल है। ओमप्रकाश व राकेश कुमार एक ही व्यक्ति है। संलग्न दस्तावेजों व मजमे आम में पूछताछ के आधार पर सही नाम राकेश कुमार पुत्र गोकल किया जाना उचित है। अतः तहसीलदार पिलानी एवं तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम पाथड़िया के वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के अनुसार खाता संख्या 118, 163, 160 में ख0न0 161, ख0न0 162, ख0न0 166 के खातेदार ओमप्रकाश पुत्र गोकल जाति मेघवाल निवासी पाथड़िया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 के स्थान पर राकेश कुमार पुत्र गोकल ग्राम पाथड़िया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैं। तहसीलदार पिलानी उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	